21.4.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बेगूं से प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट अप्राप्त साथ ही वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद-पत्र में आराजी संख्या 61.62.63. एवं 26,27,28, 29 अंकित नहीं किए जाने से उक्त आराजी प्राथमिक डिक्री जारी नहीं हो सकी. अत: वादी उक्त वाद में विभाजन नहीं करवाना चाहता है, उसे नया वाद दायर करने की अनुमति चाही। उक्त वाद/प्रार्थना-पत्र के अवलोकन पश्चात् हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते है उक्त वाद में वादी स्वंय विभाजन नहीं चाहता है अत: उसका वाद-पत्र खारिज किया जाता है, वादी पुन: वाद दर्ज करवा अपने हिस्से/हक की जमीन का तकास्मा करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल नम्बर से कम हो. बाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)